Form-1
(For liear project)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Kota

No. Rev III/2017/ 2541 dtd. Aug 9 th, 2017

To Whom So Ever It May Concern

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) , Government of India "s Letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Ricognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF"s letter dtd. February 5 , 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project . It is certified that 100.00 hactare of forest land of forest Block Lakhawa-B proposed to be diverted in favour of Mukandra National Park Kota(Rajasthan).(Name of user agency) for rehabilitation of villagers , residing in core area of Mukandra Hills Tiger Reserve in Kota district .

It is further certified that -

The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 100.00 hactare of forest area proposed for diversion . The copy of minutes of meeting of the forest right Committee(s) , Mohalla Sabha , Sub-Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as.

The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and consent has been given by Mohalla Samiti (annexed).

The proposal does not involve recognised rights of Promotive Tribal groups and Pre - agricultural communities.

Encl; As above

(Rohit Kumar Gupta)
District Collector,
Kota (Raj.)

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा
बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 2.8.2017 को जिला कलक्टर महोदय, की अध्यक्षता में मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों की लखावा ग्राम(कोटा शहरी क्षेत्र) के पास स्थित वनखण्ड लखावा–बी की 100 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि पर बसावट हेतु , उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन कार्यवाही के लिये ,उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय मुकन्दरा उद्यान ,कोटा द्वारा वांछित प्रमाणपत्र के संदर्भ में ,वन अधिकार अधिनियम 2006 ,नियम 2008 तथा संशोधन 2012 की कियान्विती हेतु, कोटा जिला के शहरीय क्षेत्र के लिए गठित ,जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्न सदस्य/अधिकारीगण की उपस्थिति रही :–

1–	जिला कलक्टर कोटा	अध्यक्ष
2–	आयुक्त,(मु0कार्य0अधि0) नगर निगम कोटा	सदस्य
3–	उपवन संरक्षक , कोटा	सदस्य
4–	श्रीमति सुनीता मीणा वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।	सदस्य
5–	श्री रामलाल भील, वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।	सदस्य
6–	श्रीमति रजिया पठान, वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।	सदस्य

मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों की लखावा ग्राम (कोटा शहरी क्षेत्र) के पास स्थित वनखण्ड लखावा–बी की 100 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि पर बसावट हेतु , उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन कार्यवाही के लिये ,उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय मुकन्दरा उद्यान ,कोटा द्वारा अनुसूचित जनजाति व परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 ,नियम 2008 के अंतर्गत अनापत्ति संबंधी प्रमाणपत्र चाहा गया है।

कोटा शहर के लिये गठित मोहल्ला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 21.6.2017 तथा उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 1.8.2017 के कार्यवाही विवरण के अनुसार, वांछित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का किसी प्रकार का दावा लंबित नहीं है ,इसलिये वांछित प्रमाणपत्र जारी करने में अनापत्ति जारी की गई है।

जिला स्तरीय समिति कोटा के समक्ष भी उक्त वनभूमि संबंधी ,वनाधिकार अधिनियम 2006 , नियम 2008 के अंतर्गत कोई दावा लम्बित नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया तथा मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों की बसावट हेतु , वनाधिकार अधिनियम के कियान्वनयार्थ गठित शहरी क्षेत्र की जिला स्तरीय समिति की ओर से , वनखण्ड लखावा–बी की 100 हेक्टेयर वन विभाग की वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

आयुक्त, न0नि0 कोटा

उपवन संरक्षक, कोटा

उपवन संरक्षक, (वन्यजीव) राष्ट्रीय मुकन्दरा उद्यान , कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

वार्ड पार्षद नगरनिगम

वार्ड पार्षद नगर निगम

जिला कलक्टर, कोटा

कमांकःप. ( )राजस्व–III/17/2536

दिनांक 8–8–2017

प्रतिलिपीः–

संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1–आयुक्त , नगर निगम, कोटा।

2–उपवन संरक्षक कोटा ।

3––उपवन संरक्षक, (वन्यजीव) राष्ट्रीय मुकन्दरा उद्यान कोटा

4–समस्त सदस्यगण

अति0जिला कलेक्टर
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 13.07.2017

आज दिनांक 13.07.2017 को समय दोपहर 4.00 बजे उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति हेतु शहरी क्षेत्र के म्युनिसिपल क्षेत्र के लिए मौहल्ला स्तरीय समिति (जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया प्रस्तावित है) बैठक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के कोटा एरिया में विस्थापित के दौरान पुनर्वास के संबंध में लखावा–बी में 100 है0 भूमि के उपयोग एवं उपभोग में विस्थापित ग्रामों के प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आयोजित की गई। जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित हुए–

1. श्री ओम कृष्ण गुंजल, वार्ड पार्षद नगर निगम, कोटा
2. श्रीमति सुनिता मीणा, वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा
3. श्री जय सिंह, सहायक वन संरक्षक वनमण्डल, कोटा
4. श्रीमति रिंकल गुप्ता, राजस्व अधिकारी, नगर निगम कोटा

बैठक में उपस्थित सदस्यों को उक्त अधिनियम की जानकारी दी गई। श्रीमान उपायुक्त नगर निगम कोटा के पत्र क्रमांक ननिको/जनस्वा/2017/1838–40 दिनांक 22.06.2017 के वर्गाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मौहल्ला स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर इस बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली लखावा के पास वनखण्ड लखावा–बी में 100 हैक्टर भूमि जो की विभाग के नाम से दर्ज है, वर्तमान में इसकी आवश्यकता के लिए डायवर्जन प्रस्तावित है। अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 की धारा 3(2) एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त वन भूमि पर किसी प्रकार के दावे इस उपखण्ड स्तरीय समिति नगर निगम क्षेत्र कोटा के समक्ष वर्तमान में लम्बित नहीं है।

अतः बैठक में सर्वसम्मति से मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे ग्रामों के विस्थापन के पुनर्वास के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है। इस हेतु उक्त डायवर्जन में उपरोक्त वन भूमि के उपभोग व उपभोग में समिति द्वारा अभिशंषा की गई।

उपखण्ड अधिकारी
एवं अध्यक्ष वनाधिकार उपखण्ड स्तरीय समिति
नगर निगम क्षेत्र कोटा
दिनांक

क्रमांक/वनाधिकार/2017/
प्रतिलिपिः– 1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा
2. श्री...सदस्यगण

मौहल्ला स्तरीय समिति कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 21.06.2017 को कोटा जिले में अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत व निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 व नियम 2008 की क्रियान्विति हे शहरी क्षेत्र के म्यूनिसिपल क्षेत्र के लिये गठित मौहल्ला स्तरीय समिति (जहां पर वन क्षै प्रभावित है) की सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली लखावा पास वन खण्ड लखावा–बी में 100 हैक्टर भूमि जो वन विभाग के नाम से दर्ज है, वर्तम में इसकी आवश्यकता के लिये विस्तार प्रस्तावित है। अतः सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पा किया गया कि मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे ग्रामों के विस्थापन पुर्नवास के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है, इस हेतु उक्त विस्तार में उपरोक्त भूमि के उपयोग व उपभोग में सभा को कोई आपत्ति नही है।

उक्त प्रस्ताव शहरी क्षैत्र के म्यूनिसिपल क्षैत्र के लिये गठित मौहल्ला स्तरीय सा के रजिस्टर में क्रमांक 05 व 06 पर इन्द्राज है तथा सभा में 50 प्रतिशत से अ सदस्यों की उपस्थिति दर्ज कराई गई है।

21.6.017

सचिव

मौहल्ला स्तरीय समिति

(मोहल्ला ... ...)

अध्यक्ष

मौहल्ला स्तरीय समि

(रामलाल भील ...)

D/work year2016/mahendarvijay/ vijay sir doc.2017